



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा
जिला - उदयपुर (राज0)


कैम्प:-ग्रामीण सेवा शिविर-2025

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

--: आदेश :-

प्रार्थी खातेदारी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल-कारछा..... व
भू - अभिलेख निरीक्षक, वृत्त-खैरवाडा..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार खैरवाडा की अनुशंषा के आधार
पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम- .. कारछाकला
..... पटवार मण्डल-कारछा तहसील- खैरवाडा जिला - उदयपुर की
जमाबन्दी संवत्-2075-2078..... में खाता संख्या-535..... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित
रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराज करने के आदेश दिये जाते हैं -

राजस्व ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
कारछाकला	535	काउवा पुत्र हकरा	कालुराम पुत्र हकरा



पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, खैरवाडा
जिला - उदयपुर (राज0)

क्रमांक :- सेवा शिविर-2025 / 2 / 2025 / 1491-1499

दिनांक :-18.09.2025

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, खैरवाडा को भेजकर लेख हैं कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
2. प्रार्थी श्री कालुराम पुत्र हकरा..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा
जिला - उदयपुर (राज0)

